# हिमाचल प्रदेश सरकार
## कृषि विभाग

संख्या एग्र0–ए{3}1/2007 तारीख, शिमला–2, 4-12-08

## अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में चपड़ासी वर्ग–4 {अराजपत्रित} के पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थातः–

| | | |
|---|---|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1{i} | इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग चपड़ासी वर्ग–4 {अराजपत्रित} भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 है। |
| | {ii} | ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे। |
| निरसन और व्यावृतिया। | 2{i} | इस विभाग की अधिसूचना 16–10/73–एग {सैक्ट} तारीख 30.11.73 तथा एग्र.ए–3{1}/95 तारीख 29.1.97 द्वारा अधिसूचित दी हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल क्लास–IV सर्विस {रिक्रूटमेंट, प्रोमोशन एण्ड सर्टेन कंडीशन्ज ऑफ सर्विस} रूल्ज, 1973 का एतद द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है, जहां तक ये चपड़ासी के पद से सम्बन्धित है। |
| | {ii} | परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी; उपरोक्त उप–नियम {i} के अधीन ऐसे निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी। |

आदेश द्वारा,

संख्या एग्र0-ए{3}1/2007 तारीख, शिमला-2, 4-12-08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश, सरकार, शिमला-2.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. निदेशक {कृषि}हिमाचल प्रदेश, शिमला-5.
4. नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 को हिमाचल प्रदेश के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की एक प्रति रिकार्ड हेतू इस विभाग को उपलब्ध करवायें
5. उप विधि परामर्शी, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
6. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव {विधि} राजभाषा, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला-2.
7. 100 अतिरिक्त प्रतियां।

उप सचिव {कृषि}
हिमाचल प्रदेश सरकार।

**हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, में चपड़ासी वर्ग–IV {अराजपत्रित} के पद के लिए भर्ती और पोन्नति नियम।**

1. पद का नाम : चपड़ासी
2. पदों की संख्या : 131 {एक सौ ईक्कतीस}
3. वर्गीकरण : वर्ग–IV {अराजपत्रित}
4. वेतनमान : 2520–100–3220–110–3660–120–4140 रूपए {प्रारम्भिक आरम्भ रूपये 2620/– के साथ}
5. चयन पद अथवा अचयन पद : लागू नहीं
6. सीधी भर्ती के लिये आयु : 18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश {आदेशों} के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किये गये हैं और इन पब्लिक सैक्टर/निगमों /स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किये गये हैं/किये गये थे।

{i} सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जायेगी जिसमें कि पद {पदों} को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

{ii} अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

| | |
|---|---|
| 7. सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हतायें: | (क) अनिवार्य<br>मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से आठवीं पास होना चाहिए।<br><br>{ख} वांछनीय अर्हतायें:-<br>हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिये उपयुक्तता। |
| 8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं। | i} आयु: लागू नहीं<br><br>ii}शैक्षणिक अर्हतायें लागू नहीं |
| 9. परिवीक्षा की अवधि, | दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनाधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। |
| 10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता: | शत्-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा<br>या<br>संविदा के आधार पर। |
| 11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा वे श्रेणियां {ग्रेड} जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जायेगा। | लागू नहीं। |

| | |
|---|---|
| 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचनाः | लागू नहीं |
| 13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा | जैसा विधि द्वारा आपेक्षित हो। |
| 14. सीधी भर्ती के अनिवार्य अपेक्षाः | किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। |
| 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन : | सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिये चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा, यदि भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम इत्यादि भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा। |
| 15.{क} संविदा के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए चयन{ | I}संकल्पनाः<br>{क} इस पॉलसी के अधीन हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, में चपड़ासी संविदा के आधार पर आरम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जायेगा जिससे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।<br>{ख} पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत से बाहर होनाः<br>निदेशक कृषि हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात रिक्त पदो के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित आर्हताओं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।<br>{ग} चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।<br>{घ} इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस प्रकार चयनित व्यक्ति को सरकारी-सेवा {जॉब} में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।<br>**II}** संविदात्मक उपलब्धियां:-<br>संविदा के आधार पर नियुक्त चपड़ासी को 3990/- रूपये की समेकित नियत संविदात्मक रकम { जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी} प्रतिमास संदत्त की |

जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 100/- रूपये वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किया जाएंगे।

**III}** नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी:-
निदेशक, कृषि हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

**IV}** चयन प्रक्रिया:-
संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी {अभिकरण का नाम} द्वारा अवधारित किया जाएगा।

**V}** संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:-
जैसी सहबद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

**VI}** करार:-
अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

**VII}** निबन्धन और शर्तें:-
{क} संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 3990/- रूपये की नियत संविदात्मक रकम {जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी} प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 100/-रूपये वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

{ख} संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

{ग} संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

{घ} संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह

चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

{ड} नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान {समापन} हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य {ड्यूटी} से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

{च} संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

{छ} चयनित अभ्यर्थियों को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होंने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

{ज} संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

**VIII}** नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकारः–

इन नियमों के अधिन संविदा के आधार पर लगाये गये अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में चपड़ासी के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षणः

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गो और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किये गये अनुदेशों के, अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षाः

लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्ति.

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध"ख"

# संविदा पर नियुक्त चपड़ासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, कृषि, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

{पांच रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाए}

यह करार कुमारी/श्री/श्रीमति............................................................................ ..................................... पुत्र/पुत्री श्री...................................................... ..........................निवासी.................................................................................. {पूरा पता} संविदा पर नियुक्त व्यक्ति {जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है} और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक कृषि हिमाचल प्रदेश { जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है} के मध्य से आज तारीख . ............................ को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार चपड़ासी के रूप में संविदा आधार पर, निम्नलिखित निबंधन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार चपड़ासी के रूप में ........................ से प्रारम्भ होंने और ....................को समाप्त होंने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की, द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्............. ............ दिन को स्वंयमेव ही पर्यवसित {समाप्त} समझी जाएगी, और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 3930/- रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित {समाप्त की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदात्मक नियुक्ति किसी भी दशा में, नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
5. संविदा पर नियुक्त चपड़ासी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त चपड़ासी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नही होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
6. नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य {ड्यूटी} से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान

{समापन} हो जायेगा। संविदा पर नियुक्त चपरासी कर्तव्य {ड्यूटी} से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थियों को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होग/होगी।

10. संविदात्मक नियुक्ति व्यक्ति{यों} को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

साक्षियों की उपस्थिति

1............................

..............................

{ नाम और पूरा पता}

2.........................

..............................

{ नाम और पूरा पता}

{प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर}

साक्षियों की उपस्थिति

1............................

..............................

{ नाम और पूरा पता}

2.........................

..............................

{ नाम और पूरा पता}

{द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर}

Authoritative English Text of H.P. Government Notification No. Agr.A(3)1/2007, dated 4-12-08 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.

**Government of Himachal Pradesh**

**Department of Agriculture.**

**No. Agr.A(3)1/07** **Dated Shimla-2** 4-12-08

**NOTIFICATION**

In exercise of the Powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make Recruitment and Promotion Rules for the post of Peon, Class-IV(Non Gazetted) in the Department of Agriculture, Himachal Pradesh, as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

| | |
|---|---|
| Short title and commencement | 1.(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Agriculture Department, Peon Class-IV (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules,2008.<br>(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh. |
| Repeal and Saving | 2.(i) The Himachal Pradesh Agricultural, Class-IV Services (Recruitment, promotion and certain conditions of service) Rules, 1973 Notified vide this Department Notification No. 16-10/73-Agr.(Sectt.) dated 30.11.1973 and Agr.A-3(1)/95 dated 29.1.1997 are hereby repealed to the extent these pertain to the post of peon.<br>(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule<br>(i) Supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules |

By Order

Principal Secretary(Agr.) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

Endst. No. As above

Dated Shimla-5, the
Dated Shimla-2, 4.12.08

Copy forwarded to the following:-

1. All the Administrative Secretary to the Govt. of H.P.
2. All Heads of Departments in HP
3. Director of Agriculture, H.P. Shimla-5, (With 5 spare copies)
4. The Controller, Printing & Stationery, HP Shimla-5 for publication in the Rajpatra (Extra Ordinary) .Acopy of the Rajpatra may kindly be supplied to this Department for record.
5. Deputy Legal Remembrancer to the Govt. of H.P., Shimla-2.
6. 100 Spare Copies.

Deputy Secretary(Agr) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

Annexure-"A"

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PEON(NON GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE HIMACHAL PRADESH**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Name Of the post | : | Peon |
| 2 | Number of posts | : | 131(one hundred & thirty one) |
| 3 | Classification: | : | (Class-IV)Non-Gazetted |
| 4 | Scale of pay | : | 2520-100-3220-110-3660-120-4140 (With Initial Start of Rs.2620) |
| 5 | Whether selection post or non-selection post | : | N.A. |
| 6 | Age for direct recruitment | : | Between 18 & 45 years. |

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Govt. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit of relaxation for Scheduled castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Govt. servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Govt. servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporation/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such corporations/ Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the posts(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(ii) Age and experience in the case of direct recruitment relax-able at the discretion of the recruiting authority in case the candidate is otherwise well qualified.

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Minimum Educational & other qualifications required for direct recruitment | a) **ESSENTIAL** Should be Middle Pass from a recognised Board/Institution.<br>**b) DESIRABLE QUALIFICATION** Knowledge of customs, manners and dialects of H.P. and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh. |
| 8. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees | i) AGE........................N.A...<br>ii) **EDUCATIONAL QUALIFICATION**...... **N.A....** |
| 9. | Period of probation, if any; | Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the Competent Authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. |
| 10. | Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods. | **100 percent by direct recruitment**<br>**OR**<br>: **On Contract Basis** |
| 11 | In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/ transfer is to be made | N.A. |
| 12 | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition; | : **N.A.** |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | Circumstances under which the HPPSC to be consulted in making recruitment | : N.A. |
| 14 | Essential requirement for a direct recruitment | A candidate for appointment to any service or post must be:-<br>(a) a citizen of India |
| 15 | Selection for appointment to post by direct recruitment | Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the recruiting authority, as the case may be so consider necessary or expedient by the written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the recruiting authority as the case may be. |
| 15-A | Selection for appointment to the post on contract basis. | (1) **CONCEPT:**<br>(a) Under this policy Peon in the Department of Agriculture, H.P. will be engaged on contact basis initially for One year, which may be extendable for two more years on year to year basis.<br>(b) Post Falls out of the purview of H.P. PSC/SPSSSB.<br>The Director of Agriculture, H.P. after obtaining the approval of the Govt. to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.<br>(c) The selection will be made in accordance with the eligibility condition prescribed in these Rules.<br>(d) Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in the Govt. job.<br>**(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS**<br>The Peons appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount Rs.3930/- |

PM(Which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs. 100/- as per annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

**(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY**

The Director of Agriculture, HP will be the appointing and disciplinary authority.

**(IV) SELECTION PROCESS:**

Selection for appointment to the post in case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned competent authority.________(Name of the agency).

**(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:**

As may be constituted by the concerned competent authority from time to time.

**(VI) AGREEMENT:**

After selection of a candidate, he/She shall sign an agreement as per annexure-B appended to these rules.

**(VII) TERMS AND CONDITIONS:**

(a) The Contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 3930/- P.M. (Which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ 100/- per annum for second & third years respectively and no other allied benefits such as

420

| | | |
|---|---|---|
| | | senior/selection scales etc. shall be given.<br>(b) The services of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the Contract appointee is not found satisfactory.<br>(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularisation in service at any stage.<br>(d) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only Maternity Leave will be given as per rules.<br>(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the Contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.<br>(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.<br>(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt../Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner. |

| | | |
|---|---|---|
| | | (h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to Regular officials at the minimum of the pay scale.<br>**(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT**<br>The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim for regularization/ permanent absorption appointment as Peons in the Deptt. at any stage. |
| 16 | Reservation | The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled Tribes/ Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the H.P. Govt. from time to time |
| 17. | Departmental Examination | N.A |
| 18. | Powers to Relax | Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts. |

**Annexure-B**

# FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN PEON ON CONTRACT BASIS AND THE GOVT. OF H.P. THROUGH THE DIRECTOR OF AGRUCLTURE, H.P.

**(TO BE EXECUTED ON STAMPED PAPER OF RS.5)**

This agreement is made on this_______________ day of _______________in the year _______________
Between Miss/Smt/.Sh._______________
S/o/D/o_______________R/O_______________
_______________).

Contract appointee (here-in-after called the first party), and the Governor of Himachal Pradesh through the Director of Agriculture, H.P. (here-in-after the Second party).

Whereas, the second party has engaged the aforesaid first party and the first party has agreed to serve as a Peon on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the first party shall remain in the service of the second party as a Peon for a period of one year commencing on the day of ________and ending on the day of__________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the first party with second party shall ipso facto stand terminated on the last working days i.e. on ___________And information notice shall be necessary.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 3930/- per month.
3. The service of First Party will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.
5. Contractual Peon will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Peon. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Peon will not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty.
7. Transfer of the official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
10. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/G. F will not be applicable to contractual appointee(s).

**IN WITNESS whereof the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands on the day, month and year. above written.**

**IN THE PRESENCE OF WITNESS:**

1.__________________________

(Name & Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2.__________________________

(Name & Full Address)

**IN THE PRESENCE OF WITNESS:**

1.__________________________

(Name & Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2.__________________________

(Name & Full Address)